तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
21.5.19	उभय पक्ष अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.6.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
27.6.19	उभय पक्ष अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 2.7.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
2.7.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसे शा०प० किया गया। उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 12.7.19 को पेश हो।	
12.7.19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, विवादित आराजियात ग्राम चावंडेपरवार हल्का चांवडे तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित होकर बिलानाम काबिल काश्त के दर्ज रेकार्ड थी, जरिये इन्तकाल नम्बर 161 से आराजी नं. 46 मे से रकबा 0.6 बीघा प्रार्थी के पूर्वज नाथू s/o मूरा चमार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल संवत 2037 से 2040 की फोटो प्रति से होती है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे विवादित आराजियात प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। इससे पूर्व मे यह आराजी सोहनी w/o हजारी, रामचन्द्र s/o मूरा, भेरा s/o पन्ना, लाली D/o पन्ना, कान्हा s/o लाडू, गीता w/o लाडू बैरवा साकिन देह के	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नाम दर्ज रेकार्ड थी। जरिये इंतकाल नं. 1769 दिनांक 20.12.13 के द्वारा हक परित्याग से कुमिया खाता नेडा० पन्ना मैरवा सामिल दांता के नाम दर्ज करने की वर्षी हुति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2070 से 2073 से होती है। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख यानि दस्तावेजो व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रार्थी के पूर्वजो को आवंटन हुई, आवंटन के बाद कब्जा सिपुर्द कर खातेदारी से भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी किन्तु कब्जा सिपुर्द करते समय नक्शे मे तरमीम नही की गयी, प्रार्थी ने साबिक आराजी का नक्शा भी पेश नही किया, जब कि पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे स्वीकार किया कि हाल आराजी नं. 1863/46 रकबा 06 बीघा की तरमीम नही की गयी है जिससे मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पड़त भूमि मे तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया है जिससे लाल स्याही से ✓ का निशान अंकित किया है जिसकी ताईद प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की नकल से होती है इस प्रकार प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज भूमि को नक्शे मे तरमीम कराना चाहते है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत:

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का स्वीकार किया जाकर ग्राम चांखेड पटवार हल्का चांखेड तहसील मांडल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित हाल आराजी नं. 1863/46 रकबा 06 बीघा भूमि का प्राप्त पर्चा मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसमे लाल स्याही से ✓ का मिलान अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय मय नक्शा ट्रेस की प्रति भिजवाते हुए तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	